सराहनीय कार्य

#OPERATION_CLEAN

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 16.02.2024

छात्र का अपहरण करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 अवैध तमन्चा, 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बिठौली एवं थाना चकरनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.02.2024 को वादी योगेश गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनरायन गुप्ता निवासी राजपुर रोड कस्बा व थाना चकरनगर जनपद इटावा द्वारा थाना चकरनगर पर सूचना दी गयी कि उसका 13 वर्षीय पुत्र कर्तव्य गुप्ता सुबह 08.30 बजे साइकिल से स्कूल जा रहा था तभी **सफेद रंग की टाटा पंच कार** से अज्ञात युवकों ने उसका अपहरण कर लिया । **सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये एसओजी/सर्विलान्स व थाना चकरनगर से गठित पुलिस टीमों द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया था एवं अभियुक्त आकाश पुत्र राधाकृष्ण सिंह को दिनांक 13/14.02.2024 की रात्रि को पुलिस मुठभेड़ में समय 01.20 बजे गिरफ्तार किया गया था, उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चकरनगर पर मु0अ0सं0 07/2024 धारा 364 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 307 भादवि एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र मुन्नी सिंह राजावत एवं रामनिवास पुत्र रामकुमार का नाम प्रकाश में आया था जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम निरन्तर प्रयासरत थी ।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 15/16.02.2024 की रात्रि को थाना बिठौली एवं थाना चकरनगर पुलिस टीम थाना बिठौली क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान गता तिराहे पर जंगल की ओर से 01 व्यक्ति आता दिखायी दिया जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा तमन्चा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 02 फायर किये गये, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त के पैर में लगी **जिसे पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में 01 अवैध तमन्चा व 02 खोखा कारतूस एवं 02 जिन्दा कारतूस सहित गता तिराहे के पास से समय 01.15 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया तथा उपचार हेतु जिला अस्पताल इटावा में भिजवाया गया**

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना बिठौली पर मु0अ0सं0 03/2024 धारा 307 भादवि एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं व मेरे अन्य दो साथियों ने अवैध तमन्चे के साथ व्यापारी योगेश गुप्ता के बेटे का दिनांक 13.02.2024 को अपहरण कर लिया था परन्तु पुलिस की सक्रियता के चलते हमारी यह योजना असफल हो गयी थी तथा पुलिस द्वारा हमारे साथी आकाश पुत्र राधाकृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और मैं मौका देखकर वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र मुन्नी सिंह राजावत निवासी ईश्वरी थाना उमरी जनपद भिण्ड म0प्र0 **उम्र 27 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 03/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिठौली जनपद इटावा।
02. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 364 भादवि थाना चकरनगर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र

01. मु0अ0सं0 52/2018 धारा 307/34/353 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट थाना नयागाँव जनपद भिण्ड म0प्र0
02. मु0अ0सं0 199/2018 धारा 392 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 म0प्र0 व्यपहरण प्रभावित अधिनियम थाना उमरी जनपद भिण्ड म0प्र0
03. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 364 भादवि थाना चकरनगर जनपद इटावा।
04. मु0अ0सं0 03/2024 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिठौली जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **01 अवैध तमंचा 315 बोर**
2. **02 खोखा कारतूस 315 बोर**
3. **02 जिंदा कारतूस 315 बोर**
4. **01 मोबाइल (ओप्पो कम्पनी)**

पुलिस टीम- **प्रथम टीम -** निरीक्षक श्री अलमा अहिरवार प्रभारी थाना बिठौली, उ0नि0 श्री उदयभान सिंह ,उ0नि0 श्री राजबहादुर सिंह, का0 सलीम खाँन, का0 आमिर खाँन, का0 चालक अरूण कुमार।

द्वितीय टीम- निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार कुशवाह प्रभारी थाना चकरनगर, उ0नि0 मुनीश्वर सिंह, उ0नि0 घनश्याम सिंह, हे0का0 हरनाम, का0 अखिलेन्द्र, का0 चालक शिव सिंह।

नोट- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी में मुख्य भुमिका निभाने वाले का0चा0 अरुण कुमार व का0 आमिर खान नियुक्ति थाना बिठौली को 2,000 -2,000/- रुपये की नकद राशि से किया गया पुरस्कृत।